



70318 - क्या वे अपने मृतक की दीयत (ब्लड मनी) बीमा कंपनी से ले सकते हैं?

प्रश्न

हमारे देश में राज्य कारों पर अनिवार्य रूप से बीमा निर्धारित करता है, लेकिन कार के मालिक को इससे कोई लाभ नहीं होता है। यदि कार किसी व्यक्ति को टक्कर मार देती है और इस दुर्घटना के कारण वह घायल हो जाता है या मर जाता है, तो उसका परिवार बीमा कंपनी के विरुद्ध केस करता है और इसके परिणाम स्वरूप घायल होने वाले या मृतक के परिवार को मुआवजा (क्षतिपूर्ति) दिया जाता है। इस मुआवजा से कार का मालिक, नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होता है। तो इसके बारे में क्या हुक्म है? यह ज्ञात रहे कि मृतक के परिवार कार के मालिक को माफ़ कर देते हैं और राज्य मानव निर्मित कानूनों के आधार पर फैसला करता है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

वाणिज्यिक बीमा निषिद्ध अनुबंधों में से है और यह अपने सभी रूपों में हराम (निषिद्ध) है। किसी के लिए भी इसमें भाग लेना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वह ऐसा करने के लिए विवश और मजबूर हो। इसके हुक्म का उल्लेख प्रश्न संख्या : (8889) और (39474) में किया जा चुका है। अतः उन्हें देखें।

द्वितीय :

बीमा में भाग लेने के हराम होने का मतलब यह नहीं है कि बीमा कंपनी से किसी का अधिकार लेना हराम और निषिद्ध है, यदि वह उस व्यक्ति की ओर से अधिकार का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दुर्घटना हुआ है।

इसके आधार पर, किसी दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति की दीयत (रक्त धन) को किसी भी पक्ष से लेने में कोई रुकावट (आपत्ति) नहीं है, जिसपर उसके हकदार लोगों को हत्यारे या अदालत द्वारा संदर्भित किया गया हो, चाहे वह बीमा कंपनी हो या कोई अन्य। क्योंकि दीयत (रक्त धन) के हकदार लोग ऐसे पक्ष हैं जो अधिकार वाले हैं, और वे बीमा कंपनी के साथ दूसरे पक्ष के मामले के वैध होने के प्रति ज़िम्मेदार नहीं हैं।

हमने आदरणीय शैख इब्ने जिब्रीन से बीमा कंपनी से मुआवजा लेने के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया : "यह



जायज़ है। क्योंकि इन कंपनियों ने खुद को इस बात के लिए प्रतिबद्ध किया है कि उनके साथ बीमित व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी घटित होता है उसे सहन करेंगी। और जब वे मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं, तो इससे उपेक्षा नहीं किया जाएगा। तथा जिस व्यक्ति ने इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, उस पर – मृत्यु होने के स्थिति में – केवल गलती से होने वाली हत्या का कफ़ारा देना (परायश्चित्त करना) बाक़ी रह जाएगा, अगर दुर्घटना उसकी गलती से हुई थी।"

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।